राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छोटूराम बनाम चन्द्रभान हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 90/2016	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत घोषणा के वाद के साथ पेश किये गये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अन्तिम निस्तारण करते हुये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है, जबकि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्षों को विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है ताकि मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान के मध्य कोई नवीन विवाद उत्पन्न होकर प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगीयां उत्पन्न नही हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11/12/2015 को संशोधित किया जाना उचित समझा जाता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11/12/2015 में अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने के आदेश तक उसे निरस्त किया जाकर उसमे इस आशय का संशोधन किया जाता है कि वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 182 हाल खसरा नम्बर 181 स्थित ग्राम हीटोवाला उर्फ़ विजयमुकुन्दपुराम, तहसील बस्सी की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	